संख्या–912 / 15–7–11–1(06) / 2011

प्रेषक,

डा0 दलजीत सिंह पुरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2011

विषयः– माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल की नवीन मान्यता पूर्व की भांति कक्षा–6 से 10 तक एक साथ दिये जाने के सम्बन्ध में विनियम में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–परिषद–9 / डी0ई0 / 146 / 2011–12 दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल की नवीन मान्यता पूर्व की भांति कक्षा–6 से 10 तक एक साथ दिये जाने के सम्बन्ध में विनियम में संशोधन किये जाने का अनुरोध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम,1921 की धारा–16(2) के अन्तर्गत किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद विनियमों के अध्याय–सात के विनियम–पांच (18) एवं विनियम संख्या–9 में प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को एतद्द्वारा श्री राज्यपाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

3– उक्त के संबंध में तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
2.6.11
(डा0 दलजीत सिंह पुरी)
विशेष सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(डा0 दलजीत सिंह पुरी)
विशेष सचिव।

Vinod

माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

परिषद द्वारा अशासकीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के विनियम का प्रस्तावित संशोधन-

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम संशोधन
अध्याय—सात	अध्याय—सात
(परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) पाँच(18)—हाईस्कूल की नवीन अथवा सीधे कक्षा(9—10) की मान्यता यनटाइम दी जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम 10 विषयों (अनिवार्य हिन्दी विषय सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्ते पूर्ण करने की दशा में एक या उससे अधिक वर्गों में एक साथ मान्यता दी जा सकती है।	(परिषद द्वारा अशासकीय संस्थाओं को मान्यता) पाँच(18)(अ)—संस्थाओं को हाईस्कूल की नवीन मान्यता वनटाइम निम्नवत् प्रदान की जायेगी:- (क) जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम—1921 के प्राविधानों के अधीन होगी। (ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा—6 से कक्षा—10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम—1921 के प्राविधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं (कक्षा—6 से 8 तक) के लिये कक्षा—कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा। (ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा—6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम—1972 के प्राविधान लागू नहीं होंगे। (घ) वर्ष 1991 के उपरान्त जिन संस्थानों को सीधे हाईस्कूल (कक्षा 9—10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय। पाँच(18)(ब)—इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्व प्रथम दस विषयों (अनिवार्य विषय हिन्दी सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्ते पूर्ण करने की दशा में एक या इससे अधिक वर्गों में एक साथ मान्यता प्रदान की जा सकती है।
	2.6.11

	होगा।
4— <u>सामान्य शिक्षण सामग्री—</u> जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 2000—00 रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।	4—<u>सामान्य शिक्षण सामग्री—</u> जूनियर कक्षाओं के साथ हाईस्कूल स्तरीय 5000=00 रूपये मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।
5— <u>विज्ञान शिक्षण सामग्री—</u> जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 10,000/—रू0 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।	5—<u>विज्ञान शिक्षण सामग्री—</u>जूनियर कक्षाओं के साथ 20000=00 रू0 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।
6— <u>गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री—</u> रू0 5000/—रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।	6—<u>गृहविज्ञान शिक्षण सामग्री—</u>रू0 10000=00 मूल्य की गृहविज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।
7— <u>संगीत,कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण—</u> रू0 5000—00 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होंगे।	7— यथावत्।
8— <u>छात्र संख्या—</u> जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा—6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होंगे(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।	8— यथावत्।

ह0 2.6.11

(डा॰ दलजीत सिंह पुरी)

विशेष सचिव।